भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या †*42

दिनांक 06.02.2024 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

†*42. श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या सरकार देशभर की ग्राम पंचायतों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं/स्कीमें कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(2) क्या सरकार ने सभी पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण और सेवाओं का ऑनलाइन प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया था;

(3) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(4) क्या कम्प्यूटरीकरण के प्रयासों में नवीनतम प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर/इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं और इन्हें बदलती प्रौद्योगिकियों/सॉफ्टवेयर के साथ समय-समय पर उन्नत किया जा रहा है; और

(5) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 42 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन और ग्राम प्रशासन राज्य का विषय होने के कारण, पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण सहित बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की है। हालाँकि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, पंचायती राज मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ, सीमित पैमाने पर पंचायतों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है। इस योजना के तहत, मंत्रालय पंचायतों के भीतर प्रमुख बुनियादी ढांचे के अवयव के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें पंचायत भवन, कॉमन सर्विस सेंटर का सह-स्थान और कंप्यूटर और बाह्य उपकरण शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित अनुदान के हिस्से का उपयोग ग्राम पंचायतें अपनी बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए भी कर सकती हैं।

(ख) से (ड.) मंत्रालय पंचायतों के निवासियों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के ई-सक्षम घटक के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत कंप्यूटर और आवंटित धनराशि का विवरण अनुबंध-I में है।

डिजिटल गवर्नेंस में सुधार के प्रयास में, मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर योजना प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में eGramSwaraj नामक एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया है। यह ऑनलाइन मोड में वार्षिक विकास योजनाओं की तैयारी के लिए एक व्यापक कार्य-आधारित एप्लिकेशन है, जो सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से बढ़ी हुई पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन, रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करके बेहतर जवाबदेही और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर बढ़ी हुई दक्षता प्रदान करता है। हर साल 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजना प्रक्रिया के लिए इस मंच का उपयोग कर रही हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत में योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी को जनता तक पहुंचाकर पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार, ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के परिणामस्वरूप 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि के सभी व्यय का ऑडिट किए जातें हैं।

पंचायतों के लिए प्रौद्योगिकी/इंटरनेट को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध, मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों के लिए सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए डिजिटल इंडिया, भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ सहयोग किया है। इस पहल ने उन्नत ई-गवर्नेंस और बेहतर ऑनलाइन सेवा वितरण के द्वार खोल दिए हैं।

*****

अनुबंध-I

ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण के संबंध में दिनांक 06/02/2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आरजीएसए के ई-सक्षम घटक के तहत स्वीकृत कंप्यूटरों और आवंटित धन की स्थिति

क्र.सं	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत	आवंटित धनराशि (करोड़ में)	स्वीकृत	आवंटित धनराशि (करोड़ में)	स्वीकृत	आवंटित धनराशि (करोड़ में)	स्वीकृत	आवंटित धनराशि (करोड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	971	3.884	500	2	500	2.5	500	2.5
3	अरुणाचल प्रदेश	50	0.2	442	1.768	800	4	400	2
4	असम	26	0.104	500	2	500	2.5	500	2.5
5	बिहार	531	2.12	267	1.068	267	1.068	267	1.33
6	छतीसगढ़	100	0.4	100	0.4	0	0	600	3
7	दादरा और नगर हवेली	0	0	38	0.152	0	0	0	0
8	दमन और दीव	0	0			0	0		
9	गोवा	0	0	4	0.016	0	0	0	0
10	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हरियाणा	405	1.62	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	389	1.556	334	1.67	0	0
13	जम्मू एवं कश्मीर	1000	2.73	318	1.272	318	1.59	1000	2.36
14	झारखंड	17	0.068	240	0.96	240	0.96	0	0
15	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
16	केरल	0	0	100	0.4	0	0	0	0
17	लद्दाख	100	0.4	100	0.4	63	0.315	60	0.3
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	100	0.4	0	0	0	0	0	0
20	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मणिपुर	12	0.048	15	0.06	60	0.3	60	0.3
22	मेघालय	54	0.216	1525	6.1	1177	5.98	1677	8.38
23	मिजोरम	18	0.07	500	2	591	2.955	591	2.96
24	नागालैंड	42	0.17	300	1.2	244	1.22	244	1.22
25	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	50	0.25
26	पुदुचेरी	0	0	61	0.244	0	0	0	0
27	पंजाब	1052	4.21	0	0	0	0	0	0
28	राजस्थान	54	0.21	1554	6.216	1554	6.216	0	0
29	सिक्किम	0	0	0	0	185	0.925	50	0.25
30	तमिलनाडु	200	0.8	500	2	0	0	0	0
31	तेलंगाना	1812	7.248	1812	7.248	1812	7.248	1812	9.06
32	त्रिपुरा	250	1	720	2.88	475	2.37	475	2.375
33	उत्तराखंड	0	0	500	2	0	0	500	2.5
34	उत्तर प्रदेश	7788	31.15	3145	12.58	3145	15.72	3145	10.89
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0

*****